बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0/अपील–प्राधि0/19/2024/पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 –122/2024

श्री ब्रजेश कुमार, पार्टनर मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, ग्राम–कोदरकट्टा पो0–बरजी, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–62/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 551 दिनांक–17.02.2024 के द्वारा उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

2. अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश 62/2024 ज्ञापांक–HQ 551 दिनांक–17/02/2024 द्वारा उन्हें कालीकृत करने का आदेश किया गया। इस आदेश के आलोक में स्पष्टीकरण हेतु मुख्य अभियंता का पत्रांक–HQ 649 दिनांक–27/02/2024 उन्हें ई–मेल के द्वारा भेजा गया, जिसका जवाब उनके द्वारा ई–मेल एवं पत्र के माध्यम से दिनांक–29.02.2024 को मुख्य अभियंता को दिया गया। इसके पूर्व भी उनके द्वारा दिनांक–19.12.2023 को ई–मेल एवं पत्र कार्यालय में दिया गया था।

उनके इस स्पष्टीकरण के बाद मुख्य अभियंता के सकारण कार्यालय आदेश 88/2024 सहपठित ज्ञापांक–HQ 768 दिनांक–04.03.2024 के द्वारा पूर्व के कार्यालय आदेश सं0–62/2024 सहपठित ज्ञापांक–HQ 551 दिनांक–17/02/2024 को निरस्त किया गया।

इस आदेश को अभी तक Online नहीं किया गया, इसका उल्लेख करते हुये, अपीलकर्ता के द्वारा उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

3. मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के निबंधन को कालीकृत किये जाने से संबंधी अपने कार्यालय आदेश–62/2024 दिनांक–17.02.2024 को निरस्त किये जाने से संबंधी सकारण कार्यालय आदेश–88/2024 दिनांक–04.03.2024 में मुख्य अभियंता द्वारा उल्लेख किया गया है कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा प्रकाशित NIT 33/2023–24 के ग्रुप सं०–06 में० देवन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के द्वारा निविदा में भाग लिया गया था एवं इनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था कि इन्हें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklist नहीं किया गया है। इसके आलोक में इन्हे उक्त कार्य दिनाक–11.12.2023 को आवंटित भी कर दिया गया, जबकि अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 851 (अनु०) दिनाक 03.02.2023 द्वारा अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था।

उपर्युक्त के संदर्भ में संवेदक मे० देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के अभ्यावेदन दिनांक 28.02 2024 के माध्यम से सूचित किया गया कि

(i) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक– 851(अनु0) दिनांक–03.02.2023 में संदर्भित एकरारनामा सं0–94/SBD/MMGSY(sc)/2020–21 का कार्य, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक 2578 दिनांक–16.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक रूप से दिनांक–20.10.2023 को पूर्ण कर दिया गया।

(ii) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के उल्लेखित पत्र से संदर्भित एकरारमाना सं०–96/SBD/MMGSY(sc)/2020–21 के कार्य को, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल महुआ के पत्रांक 2579 दिनांक–16.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदित के अनुसार वास्तविक रूप से दिनांक–20.10.2023 को पूर्ण कर दिया गया।

मुख्य अभियंता के उपर्युक्त सकारण कार्यालय आदेश–88/2024 दिनांक–04.03.2024 में आगे उल्लेख किया गया है कि सवेदक के अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों की विवेचना से यह परिलक्षित होता है कि ग्रामीण कार्य विभाग के जिन एकरारनामाओं को ससमय कार्यान्वित नहीं किया जा सका एवं संवेदक को Debar घोषित किया गया, उन कार्यों को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा प्रकाशित NIT 33/2023–24 में निविदा प्राप्ति की तिथि 02.11.2023 से पूर्व पूर्ण करा दिया गया, अपितु इस Debar मुक्ति का प्रकाशन ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा नहीं किया गया है।

संवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में ग्रामीण कार्य प्रमंडल, महुआ से वर्णित एकरारनामा की स्थिति की सम्पुष्टि हेतु निगम के पत्रांक–HQ 742 (अनु०) एव HQ 747 (अनु०) दिनाक–02.03.2024 द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक 338 एवं 339 दिनाक 04.03.2024 के द्वारा इसे सम्पुष्ट किया गया है।

संवेदक के अभ्यावेदन एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, महुआ के वर्णित पत्रों पर विचार किये जाने का उल्लेख करते हुये, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सकारण कार्यालय आदेश–88/2024 दिनांक–04.03.2024 के द्वारा अपना पूर्व का कार्यालय आदेश–62/2024 दिनांक–17.02.2024 सहपठित ज्ञापांक–HQ 551 दिनांक–17.02.2024, जिससे संवेदक मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के निबंधन सं0–श्रेणी 44/2023–24 (पार्टनरशीप) (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) को कालीकृत किया गया था, को निरस्त कर दिया गया।

4. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली' 2007 की कंडिका–10(ग) एवं (घ) निम्नवत हैः–

(ग) काली सूची में डालने पदावनत (डीमोट) करने का आदेश/निलम्बन का आदेश सम्बन्धित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हो के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(घ) दिये गये दण्ड के विरूद्ध सम्वेदक द्वारा तीस दिनों के अन्दर निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

अर्थात निबंधन पदाधिकारी के द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध सी0एम0डी0 के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है। इस नियमावली में निबंधन पदाधिकारी द्वारा दिये गये दण्ड पर स्वयं निबंधन पदाधिकारी के द्वारा ही पुनर्विचार किये जाने अर्थात संशोधित या निरस्त किये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रश्नगत मामले में, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा अपीलकर्ता के निबंधन को कालीकृत किये जाने से संबंधी कार्यालय आदेश–62/2024 दिनांक–17.02.2024 निर्गत किये जाने के एक सप्ताह के पश्चात पुनः अपने पत्रांक–HQ 649 दिनांक–27/02/2024 द्वारा संवेदक से उनके अभ्यावेदन के आलोक में साक्ष्यों की मांग की गयी तथा संवेदक के अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने संबंधी अपने पूर्व के आदेश को मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली' 2007 के प्रावधानों का यह घोर उल्लंघन है।

अतः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का सकारण कार्यालय आदेश–88/2024 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 768 दिनांक–04.03.2024, क्षेत्राधिकार के अभाव में (for want of jurisdiction) निरस्त किया जाता है।

5. Programme of Works के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने के कारण अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–851(अनु0) दिनांक–03.02.2023 के द्वारा संवेदक मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी का नाम डिफॉल्टर सूची सम्मिलित करते हुए उन्हें आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था। संबंधित कार्य दिनांक–20.10.2023 को पूर्ण किये जाने बाद अभियंता प्रमुख के सकारण आदेश, ज्ञापांक–6490 दिनांक–22.12.2023 से संवेदक को डिफॉल्टर सूची से मुक्त किया गया।

उल्लेखनीय है, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–851(अनु0) दिनांक–03.02.2023 से मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी को अगली निविदाओं में भाग लेने से डिबार किया गया एवं सकारण आदेश, ज्ञापांक–6490 दिनांक–22.12.2023 से डिफॉल्टर सूची से मुक्त किया गया, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ही इस बीच की अवधि में मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी को कुल–03 पथो का निर्माण कार्य, जिसमें निहित राशि कुल रू0 6,69,84,982/–(छह करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ बयासी रू0) का कार्य आवंटित किया गया। मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10673(अनु0) दिनांक–27.02.2023 के द्वारा मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी को उपर्युक्त कार्य आवंटित किया गया, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया के पत्र सं0–330 दिनांक–01.03.2023 के द्वारा मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के पक्ष में Letter of Acceptance निर्गत किया गया तथा दिनांक–06.03.2023 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया के द्वारा मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के पार्टनर श्री ब्रजेश कुमार के साथ उपर्युक्त कार्यों के लिये एकरारनामा किया गया।

6. अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग का संवेदकों को अगली निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किये जाने विषयक पत्रांक–प्र06/विविध(कार्य)–66/2009 1504(E) दिनांक–30.04.2009 के अनुसार "संवेदकों को अगली निविदा से भाग लेने में तबतक वंचित किया जाय, जबतक वे जिस कार्य/कार्यों में Defaulter घोषित किये गये हैं, उन सभी को पूर्ण नहीं करा देते हैं।" इसका आशय है कि संबंधित कार्य/कार्यों को पूर्ण कराने या वांछित milestone प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त संवेदकों को debarment या defaulter list से मुक्त माना जा सकता है।

7. उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं नियमों के आलोक में, अपीलकर्ता के निबंधन को कालीकृत किये जाने का आदेश, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा व्याप्त नियमों एवं परिनियमों के दृष्टिकोण से निरस्त करने योग्य है।

अतः अपीलकर्ता मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के निबंधन सं0–श्रेणी 44/2023–24 (पार्टनरशीप) (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) कालीकृत किये जाने से संबंधी मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश सं0–62/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 551 दिनांक–17.02.2024 निरस्त किया जाता है।

अपील स्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..../   पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री ब्रजेश कुमार, पार्टनर मे0 देवेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, ग्राम–कोदरकट्टा पो0–वरजी, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..../   पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, विहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, विहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, विहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, विहार, पटना/ प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ....नि0 1278/   पटना, दिनांक – 10/4/2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/4/24

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम